न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 204/2024(GCMS : 2024/296)

मैसर्स हिन्दुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय नं. 27, डवलप इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, गुईन्डी, चेन्नई – 600032, क्षेत्रीय कार्यालय 21/22, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, जयपुर इनेक्ट्रॉनिक मार्केट, रिद्धि सिद्धि सर्किल के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर, राजस्थान 302018, जरिये प्राधिकृत अधिकारी संजय कुमार पुत्र जगदीश चंद

बनाम

1. **चिमन लाल,** निवासी वार्ड नं. 02 वाया पोस्ट – रत्तेवाला, पदमपुर, श्रीगंगानगर राजस्थान, 335022 एवं प्लाट नं. 52, पट्टा नं. 1916, ग्राम एवं ग्राम पंचायत रत्तेवाला, पंचायत समिति पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान, 335022
2. रवीना निवासी वार्ड नं. 02, वाया पोस्ट रत्तेवाला, पदमपुर, श्रीगंगानगर राजस्थान, 335022 एवं प्लाट नं. 52, पट्टा नं. 1916, ग्राम एवं ग्राम पंचायत रत्तेवाला, पंचायत समिति पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान, 335022

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22.01.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री राजीव मेहन्दीरत्ता ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण चिमन लाल एवं रवीना को ऋण सुविधा के रूप में 11,16,000/–रूपये की ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 31.12.2021 को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 01.05.2024 को 11,22,852/– रूपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी चिमन लाल द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति प्लाट नं. 52, पट्टा नं. 1916, ग्राम एवं ग्राम पंचायत रत्तेवाला, पंचायत समिति पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान–335022, जिसका कुल क्षेत्रफल 2596 वर्ग[illegible] जिसके पूर्व में गली, पश्चिम में मनमोहन सिंह का मकान, उत्तर में [illegible] का मकान एवं दक्षिण में देवेन्द्र कौर का मकान स्थित है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:41:56 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण** चिमन लाल एवं रवीना को ऋण सुविधा के रूप में 11,16,000/—रूपये **(अखरे रूपये ग्यारह लाख सोलह हजार मात्र) की स्वीकृति दिनांक 31.12.2021 को प्रदान की थी और** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी चिमन लाल ने अपनी **अचल सम्पत्ति प्लाट नं. 52, पट्टा नं. 1916, ग्राम एवं ग्राम पंचायत रत्तेवाला, पंचायत समिति पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान—335022, जिसका कुल क्षेत्रफल 2596 वर्गफीट है। जिसके पूर्व में गली, पश्चिम में मनमोहन सिंह का मकान, उत्तर में ओम प्रकाश का मकान एवं दक्षिण में देवेन्द्र कौर का मकान स्थित है,** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 06.03.2024 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गए है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए वित्तीय आस्ति/सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:41:56 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी चिमन लाल की अचल सम्पत्ति प्लाट नं. 52, पट्टा नं. 1916, ग्राम एवं ग्राम पंचायत रत्तेवाला, पंचायत समिति पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान–335022, जिसका कुल क्षेत्रफल 2596 वर्गफीट है। जिसके पूर्व में गली, पश्चिम में मनमोहन सिंह का मकान, उत्तर में ओम प्रकाश का मकान एवं दक्षिण में देवेन्द्र कौर का मकान स्थित है, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 01.05.2024 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 01.05.2024 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अ**प्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 07.05.2024 को भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार** अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी चिमन लाल द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:41:56 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी मैसर्स हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी चिमन लाल **द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति प्लाट नं. 52, पट्टा नं. 1916, ग्राम एवं ग्राम पंचायत रत्तेवाला, पंचायत समिति पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान–335022, जिसका कुल क्षेत्रफल 2596 वर्गफीट है। जिसके पूर्व में गली, पश्चिम में मनमोहन सिंह का मकान, उत्तर में ओम प्रकाश का मकान एवं दक्षिण में देवेन्द्र कौर का मकान स्थित है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक [illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:41:56 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर